न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः सी. आर. देवासी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 199/2024 अपील (GCMS 2024/248)
पंजीयन दिनांक- 28/11/2024
निर्णय दिनांक- 24/11/2025

1. श्री भंवर खां पिता बाद खां, निवासी किला, चित्तौड़गढ़, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्री अमीन खां पिता बाद खां, निवासी किला, चित्तौड़गढ़, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
3. श्री गुलशेर खां पिता बाद खां, निवासी किला, चित्तौड़गढ़, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
4. श्री नवाब खां पिता बाद खां, निवासी किला, चित्तौड़गढ़, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
5. नूरजहां पुत्री बाद खां, निवासी किला, चित्तौड़गढ़, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
6. रहमत बानो पुत्री बाद खां, निवासी किला, चित्तौड़गढ़, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
7. मुमताल बेगम पत्नि बाद खां, निवासी किला, चित्तौड़गढ़, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
8. फरीद खां पिता सुभान खां, निवासी किला, चित्तौड़गढ़, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
9. जैतुन पुत्री सुभान खां, निवासी किला, चित्तौड़गढ़, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
10. रहमत बानो पुत्री सुभान खां, निवासी किला, चित्तौड़गढ़, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
11. शकूर बानो पत्नि सुभान खां, निवासी किला, चित्तौड़गढ़, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

-अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बस्सी, जिला चित्तौड़गढ़।

-रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः-

1. श्री प्रकाशचन्द्र पालीवाल/श्री दीपक शर्मा - अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक - अधिवक्ता रेस्पो. सं. 1

अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ हाल तहसील बस्सी, जिला चित्तौड़गढ़ के
नामांतरकरण संख्या 42 निर्णय दिनांक 21.11.1957

निर्णय

दिनांक 24/11/2025

अपीलांट्स द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ हाल तहसील बस्सी के नामांतरकरण संख्या 42 निर्णय दिनांक 21.11.1957 के विरूद्ध दिनांक 27.11.2024 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 मयाद अधिनियम मय शपथ पत्र के साथ इस न्यायालय में पेश की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा सुरजपोल, तहसील चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़ के साबिक आराजी नम्बर 104/2 रकबा 19 बीघा 5 बिस्वा भूमि अकबर खां पिता लाल खां मुसलमान, निवासी किला, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ के नाम सिकमी खातेदार काश्तकार के रूप में राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, जिसके वर्तमान आराजी नम्बर 158 से 161 किता 4 रकबा 2.11 हैक्टेयर अपीलांट्स के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी कानून लागु होने पर काश्तकार का नाम राजस्व रेकार्ड में सिकमी खातेदार के रूप में दर्ज रेकार्ड था। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 के तहत खातेदारी प्रदत्त किये जाने के निर्देश दिये गये थे, परंतु अपीलांट को नामांतरकरण संख्या 42 में खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं कर नामंतरकरण में बशर्ते अनुसार आबाद नहीं की एवं पडत रहने का अंकन करते हुए अकबर खां पिता लाल खां की खातेदारी की भूमि को गैर खातेदारी के रूप में राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया गया। उक्त आराजीयात अपीलांट्स के

दादा जवार खां को प्राप्त हुई एवं उसके पश्चात् विरासत अनुसार अपीलांट्स पिता बाद खां तथा सुभान खां के पश्चात् अपीलांट्स के नाम गैर खातेदार के रूप में राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर नामांतरकरण संख्या 42 से व्यथित/अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाशचन्द्र पालीवाल/श्री दीपक शर्मा उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 21.11.2025 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपनी बहस में बताया कि राज्य सरकार द्वारा यह निर्देशित किया था कि जो सिकमी काश्तकार है, उन्है खातेदारी अधिकार प्रदान किये जावे, परंतु रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा केवल मात्र अकबर खां का बशर्ते अनुसार आबाद नहीं है, पडत है, इस कारण नामंतरकरण गैर खातेदारी का राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया गया। मूल सिकमी खातेदार अकबर खां पिता लाल खां मुसलमान को बापी अनुसार काश्तकार होने से उक्त आराजीयात की समय-समय पर बुवाई-जुताई एवं काबिज रहने से राज्य सरकार द्वारा सिकमी खातेदार के रूप में अधिकार प्रदत्त किये गए, परंतु अन्य आराजीयात के अन्य खातेदारन को खातेदारी अधिकार प्रदान किए गये, परंतु अकबर खां को उक्त आराजयात का खातेदार काश्तकार नहीं माना। अपीलांट्स के दादा खाजु खां व अपीलांट्स द्वारा उक्त आराजीयात की बुवाई-जुताई नियमित रूप से कर आबाद करने के कारण खातेदारी प्रदान करना न्यायोचित था, परंतु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा इसकी अनदेखी करते हुए मूल सिकमी खातेदार अकबर खां को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये गये, जो उचित नही है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का उक्त नामांतरकरण संख्या 42 अपास्त किया जाकर अपील अपीलांट्स स्वीकार किये जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 1 राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा दिनांक 21.11.1957 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 21.11.1957 को किया गया है जिसकी अपील अपीलांट्स द्वारा दिनांक 27.11.2024 को अर्थात् 67 वर्ष से अधिक विलम्ब के बाद पेश की गयी है। अपीलांट्स ने इसके लिए दफा 5 मयाद अधिनियम के आवेदन में यह वर्णित किया है कि अपीलांट्स द्वारा अपने अधिवक्ता के मार्फत से समस्त राजस्व रेकार्ड जमाबंदीया व नामांतरकरण की प्रतियां लेने पर दिनांक 04.11.2024 को सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त हुई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया नामांतरकरण आदेश कानूनन अवैध है। अपीलांट्स द्वारा 67 वर्ष के विलम्ब के लिए जो आधार दिये गये हैं, वे न तो उचित है न ही पर्याप्त है। किसी भी पक्षकार को अपने प्रकरण के सन्दर्भ में 67 वर्षों तक अपने स्तर पर न्यायालय से जानकारी नहीं करना निःसन्देह उसकी वादकरण में रूचि नहीं होना प्रकट करता है। प्रकरण प्रथम दृष्टया ही मयाद बाहर होकर खारिज योग्य है।

हालांकि अपील मयाद बाहर होने से ही खारिज योग्य है फिर भी हम न्यायहित में यह वर्णन करना उचित समझते हैं कि हस्तगत अपील में अपीलांट्स द्वारा किसी प्रभावित आदेश/निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत नही कर तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित नामांतरकरण संख्या 42 निर्णय दिनांक 21.11.1957 के विरूद्ध गैर-खातेदारी से खातेदारी अधिकार बाबत अनुतोष चाहा गया है। वर्णित है कि गैर-खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्रदत्त नही है। अपीलांट द्वारा अपील हेतुक से संबंधित भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्तानुसार अपील

अपीलांट बैरून मयाद एवं गुणावगुण पर सारहीन होने से खारिज की जाती है। अपीलांट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु सक्षम स्तर पर चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है।

(सी. आर. देवासी)
अति. संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(सी. आर. देवासी)
अति. संभागीय आयुक्त,
उदयपुर